316

1

II/निग0/सिंगरौली/2018/01528

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | Rs.10 COURT FEE दस रुपये TEN RUPEES | 10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

यमुना प्रसाद तनय भोनाथ कलार, उम्र 50 वर्ष, साकिन उज्जैनी, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0) ———निगरानीकर्ता

बनाम

1— लालमणि पिता खिरोदन अगरिया, साकिन उज्जैनी, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

2— म0प्र0 शासन ———गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा पेश 05-3-18

कार्यालय कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश कलेक्टर, जिला सिगरौली म0प्र0 के प्रकरण क0—196/निगरानी/2005—06 आदेश दिनांक 21/03/2011

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :—

1— यह कि निगरानीकर्ता यमुना प्रसाद तनय भोलानाथ कलार, निवासी उज्जैनी के द्वारा नायब तहसीलदार बरगंवा, तहसील देवसर, तत्कालीन जिला सीधी, के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक ने ग्राम में स्थित ख0क0 पुराना—66 नया नं0—175 रकवा 1.12, 176 रकवा 0.70, 177 रकवा 0.18 के रकवा 2.00 हे0 का भूमिस्वामी घोषित किये जाने हेतु विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, इश्तहार का प्रकाशन किया गया, कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई, वन्दोवस्त से प्राप्त अभिलेखो में निगरानीकर्ता के

5/3/18

1

(316)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग./18/1523 जिला– सिंगरौली

यमुना प्रसाद कलार विरुद्ध लालमणि कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री राकेश कुमार निगम अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 196/निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 21.3.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-18 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

5/3/19